

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद
- 2 पिता का नाम
- 3 कार्यरत स्थान
- विभाग / कार्यालय / विधालय
- 4 जन्मतिथि
- 5 नियुक्ति तिथि
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन
- 8 स्थायी पता
- 9 विकलांग होने का विवरण
 "अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है
 "ब" विकलांगता का विवरण
- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंषा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No.F.6(6)FD/Rules/2010

Jaipur, dated : 25 APR 2012

ORDER

Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.

The Governor is pleased to order that in para 1 of Finance Department Order No. F. 10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989, 02.05.1998 and 12.09.2008 the existing words and figures "@3% of their basic pay not exceeding Rs. 300/- per month" shall be substituted by the words and figures "@6% of their basic pay not exceeding Rs. 600/- per month".

This order shall come into force with effect from 01.04.2012.

www.rajteachers.com

By order of the Governor,

(Akhil Arora)

Secretary to the Government
Finance (Budget)

Copy forwarded to the -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst (Joint Director) Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan.

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका

www.rajteachers.com



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर